

Ref :: SD:386/387/11/12::2021

10.11.2021

The Vice President BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street MUMBAI - 400 001 Scrip Code: 532483	The Vice President Listing Department National Stock Exchange of India Ltd EXCHANGE PLAZA Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] MUMBAI - 400 051 Scrip Code: CANBK
---	--

Dear Sir/Madam,

Sub : Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) - 10.12.2021

Ref : Letter No. SD: 362/363/11/12::2021 dated 26.10.2021

With reference to above, the Stock Exchanges are hereby informed that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of our Bank has been scheduled as per the details given below:

1	Date / Time	Friday, 10 th December 2021 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)
2	Agenda / Business	Election of One Shareholder Director amongst the Shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970
3	Specified / Cut-off date	05 th November 2021 - To nominate, contest and vote at the meeting
4	Remote E-Voting	From 9.00 a.m. on Monday, 06 th December 2021 to 5.00 p.m. on Thursday, 09 th December 2021 (both days inclusive)
5	Last date for submission of nominations	Thursday, 25 th November 2021 up to 5.00 p.m.

In this connection, we enclose the **Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank** for placing on the website/s of the Exchange/s. The same is available on the website of the Bank at www.canarabank.com.

We request you to take notice on record in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Yours faithfully,

कुले केनरा बैंक
For CANARA BANK


 सहायक महा प्रबंधक और कंपनी सचिव
 Assistant General Manager & Company Secretary
VINAY MOHTA
COMPANY SECRETARY



सचिबीय विभाग
 प्रधान कार्यालय
 112, जे सी रोड बेंगलूरु - 560002
 E-Mail - hosecretarial@canarabank.com

Secretarial Department
 Head Office
 112 J C Road, Bengaluru - 560002
www.canarabank.com

F +91 80 22248831
 T +91 80 22100250

केनरा बैंक

भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate



Together We Can



असाधारण
सामान्य बैठक की सूचना
(एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

Notice of
Extraordinary General Meeting
(Election of One Shareholder Director)



असाधारण सामान्य बैठक की सूचना
(एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

**Notice of Extraordinary General Meeting
(Election of One Shareholder Director)**

विषय-वस्तु / CONTENTS

सूचना NOTICE	03
टिप्पणियाँ Notes	04 – 43
नामांकन फार्म Nomination Form	44 – 45
घोषणा Declaration	46 – 49
प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा और वचन Declaration and Undertaking by a Proposed Director	50 – 59

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना (एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण सामान्य बैठक **शुक्रवार 10 दिसंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम)** के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए आयोजित की जाएगी:

एजेंडा मद संख्या 1:

यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "बीआर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, (इसके बाद "योजना" ("स्कीम") के रूप में संदर्भित) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार बनाए गए केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, यथा संशोधित (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) और आरबीआई के परिपत्र सं.डीबीआर. एपीपीटी बीसी सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के साथ पठित, आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर निदेश डीबीआर एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 और उसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो (इसके बाद "आरबीआई निर्देश" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबी बैंक के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित एवं उपयुक्त' मानदंड) निदेश 2019 और 25 मार्च 2015, 08 जुलाई 2016 के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के साथ पठित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओ.आई दिनांक 3 सितंबर 2013 एफ.सं. 16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016, और इसमें आगे किए गए संशोधनों (बाद में "भारत सरकार के दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) के अनुसार प्राप्त हुए वैध नामांकनों में से केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव करने और संशोधन के साथ या संशोधन के बिना निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करने के संबंध में है।

"संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i), प्रासंगिक योजना, आरबीआई के निर्देश और सरकारी दिशानिर्देश के तहत बनाए गए विनियम के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव किया जाता है और एतद्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते केनरा बैंक
एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.11.2021

NOTICE

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Friday, the 10th December, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

Agenda Item No. 1:

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "RBI Directions") and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendment thereto, (hereinafter referred to as the "GOI Guidelines") and to pass the following resolution with or without modification(s):-

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made there under, RBI Directions and Government Guidelines, be and is hereby appointed as Director of the Bank for a period of three years from the date of assumption of office.

By Order of Board of Directors

For CANARA BANK
L V Prabhakar
Managing Director & CEO

Place: Bengaluru
Date: 08.11.2021

टिप्पणियाँ:

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देश भर में चल रही लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए और सामाजिक दूरी के अलावा आवागमन पर लगे प्रतिबंध, एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के माध्यम से कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी वार्षिक सामान्य बैठक(एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी। इसके अलावा सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 के माध्यम से एमसीए ने इन छूटों को वर्ष 2021 (यानी, 31 दिसंबर, 2021 तक) में होने वाली कंपनियों की बकाया आम बैठक के लिए भी विस्तारित कर दिया है। सेबी ने भी एमसीए द्वारा जारी पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुरूप, सूचीबद्ध संस्थाओं को अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के माध्यम से छूट प्रदान की है और अपने परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 के माध्यम से छूट को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक "ई-ईजीएम" के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी असाधारण सामान्य बैठक(ईजीएम) आयोजित कर रहा है। बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए और ई-ईजीएम के आयोजन के लिए प्रतिभागियों को सक्षम करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को नियुक्त किया है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की असाधारण सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जा रही है। ईजीएम के लिए आयोजन स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय, बंगलूरु होगा।

2. शेयरधारकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के निर्देश:

बैंक ने असाधारण सामान्य बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए और ईजीएम के आयोजन के लिए प्रतिभागियों को सक्षम करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिन), रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को नियुक्त किया है।

वीसी/ओएवीएम पर ईजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार:

- शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के लिए उन्हें प्रदान किए गए लॉग इन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

NOTES:

1. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

In view of the prevailing lock down situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular Nos. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, permitted companies to hold their AGM through VC/OVAM for the calendar year 2020. Further, vide General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, MCA has also extended these relaxations to General Meeting of the companies due in the year 2021 (i.e., till December 31, 2021). SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and extended the relaxations till December 31, 2021 vide its circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021. Pursuant to the said guidelines, Bank is conducting its EGM through Video Conferencing herein after called as "e-EGM".

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-EGM.

In compliance with the above provisions, Extraordinary General Meeting of the Bank being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank at Bengaluru.

2. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited (KFin), Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Extraordinary General Meeting and the attendant enablers for conducting of the EGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of EGM on the VC / OAVM:

- Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.
- Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना (एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

- c) कॉर्पोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसमें भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार हैं।

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के समय से 15 मिनट पहले ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। ईजीएम में एफआईएफओ के आधार पर 1000 सदस्य तक शामिल हो सकेंगे।

बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि के मामले में ईजीएम में एफआईएफओ प्रवेश के कारण/चलते कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति (सदस्य लॉगिन) की गणना केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

शेयरधारक इसे <https://emeetings.kfintech.com/> पर रिमोट इवोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके "ईजीएम-वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड स्ट्रीमिंग" के आइकन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, शेयरधारकों को संबंधित कार्यक्रम विवरण और बैंक के नाम का चयन करना होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / स्मार्ट फोन में गूगल क्रोम / फायरफॉक्स के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सलाह दी जाती है।
- इसके अलावा शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं, उन्हें कैमरे की अनुमति देने की आवश्यकता होगी, और इसलिए बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति वाले इंटरनेट का उपयोग करें। सदस्य "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उक्त पोर्टल में दिए गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पहले से रिकॉर्ड और अपलोड भी कर सकते हैं। चूंकि एजेंडा आइटम केवल एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव है, इसलिए बैठक के अध्यक्ष यह तय करेंगे कि शेयरधारकों को बैठक में बोलने की अनुमति दी जाए या नहीं।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के जरिए जुड़ने वाले प्रतिभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव (फ्लक्चुएशंस) के कारण खराब ऑडियो / वीडियो का अनुभव हो सकता है। इसलिए पूर्वोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
- कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारकों के पूछताछ/विचारों/प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जाएगा, जब यह एजेंडा आइटम से संबंधित होगी और शेयरधारक कट-ऑफ तिथि यानी 05 नवंबर 2021 को शेयर धारण करता हो। विंडो 3 दिसंबर 2021 को सुबह 10.00 बजे से 04 दिसंबर 2021 को शाम 5.00 बजे तक

- c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the EGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

The Shareholders can join the EGM 15 minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 members will be able to join on a FIFO basis to the EGM.

There will be no restrictions on account of FIFO entry into EGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

The attendance of the Shareholders (members logins) attending the EGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

Shareholders may access the same at <https://emeetings.kfintech.com/> by clicking the Icon of "EGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders need to select respective event details and name of the Bank. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / Smart phones with Google Chrome / Firefox for better experience.
- Further Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The members can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration". As the agenda item is only election of one shareholder director, the Chairman of the Meeting will decide as to whether to allow shareholders to speak at the Meeting.
- Please note that participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/ Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Please note that, shareholders queries/views/questions will be responded to, only if it relates to agenda item and the shareholder hold the shares as on the cut-off date i.e., 05th November 2021. The window shall be activated (if required) from 10.00 AM on 3rd December 2021 till 5.00 PM on

सक्रिय की जाएगी (यदि आवश्यक हो)। हालांकि, बैठक के अध्यक्ष यह तय करेंगे कि शेयरधारकों को बैठक में बोलने की अनुमति दी जाए या नहीं।

- जो सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं, वे ईजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://emeetings.kfintech.com/> पर अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके देख सकेंगे।
- ईजीएम आयोजन की सूचना बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर अपलोड कर दी गई है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी केफिन की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध है।

3. निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि:

चुनाव में भाग लेने के लिए अर्थात्, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निर्देशक के चुनाव के लिए नामित, भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारकों की सूची का निर्धारण करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 05 नवंबर 2021 को निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है।

4. प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों की नियुक्ति:

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुसरण में इस ई-ईजीएम के लिए शेयरधारकों को उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके पास बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की मूल प्रति, जिस पर वह पारित की गई हो, उसे ईमेल raju.sv@kfintech.com / hosecretarial@canarabank.com पर बैठक की तारीख से चार दिन पहले यानी शनिवार 4 दिसंबर 2021 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले भेजा जाना चाहिए।

5. शेयर ट्रांसफर एजेंटों के साथ संचार:

भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंटों को निम्नलिखित पते पर दें:

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट: केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गच्छीबौली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकुरामगुडा

हैदराबाद - 500 032

इसके अलावा, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-मेल आईडी या तो शेयर ट्रांसफर एजेंटों (उपरोक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित/पंजीकृत करें।

04th December 2021. However, Chairman of the Meeting will decide as to whether to allow shareholders to speak at the Meeting.

- Members who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of EGM by logging on the e-voting website of KFin Technologies Private Limited at <https://emeetings.kfintech.com/> using their remote e-voting credentials.
- The Notice calling the EGM has been uploaded on the website of the Bank at www.canarabank.com. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on the website of e-voting agency KFin at the website address <https://evoting.kfintech.com/>

3. SPECIFIED/CUT-OFF DATE:

The Bank had fixed Friday, 05th November 2021 as Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to Nominate, Contest and Vote for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

4. APPOINTMENT OF PROXIES AND AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

Pursuant to the aforesaid Circulars the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the shareholders is not available for this e-EGM.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent either by email to raju.sv@kfintech.com / hosecretarial@canarabank.com not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on Saturday 4th December 2021.

5. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD - 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

डीमैट (अभौतिक) रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों / ई-मेल आईडी की सूचना केवल अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (निक्षेपागार सहभागी) को दें।

6. फोलियो का समेकन:

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले उन सदस्यों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को उन खातों के लेजर फोलियो के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी होल्डिंग्स को एक खाते में समेकित किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

7. भौतिक शेयरधारिता (होल्डिंग्स) का अभौतिकीकरण – एक विशेष अनुरोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण या रूपांतरण के मामले को छोड़कर, 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रतिभूतियों को एक डिपॉजिटरी के साथ डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। अतः, शेयरधारकों से हमारा अनुरोध है कि कृपया उनकी भौतिक शेयरधारिता (होल्डिंग्स) को तुरंत डीमैट करें।

अभौतिकीकरण (डीमैटरियलाइजेशन) के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डी-मैट खाते को बनाए रखते हैं। अभौतिकीकरण के लाभ इस प्रकार हैं: i) झंझट-रहित हस्तांतरण ii) शेयर प्रमाण पत्र के गुम होअने का कोई खतरा नहीं iii) लाभांश / कॉर्पोरेट लाभ का प्रत्यक्ष और त्वरित जमा (क्रेडिट) iv) नामांकन सुविधा v) एसबीए / आईपीओ, आदि के माध्यम से सीधे आवेदन।

8. दावा न किया गया / अप्रदत्त लाभांश, यदि पिछले वर्षों में कोई हो:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान से नोट करें कि "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था कानून(संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चाहिए कि पूर्वोक्त अधिनियम के प्रारंभ होने पर पिछले वर्षों के लाभांश खातों में शेष अप्रदत्त राशि / दावा की गई राशि और उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद घोषित लाभांश को "अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

उक्त "अप्रदत्त लाभांश खातों" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए दावा नहीं की गई/ अप्रदत्त शेष राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) की धारा 205 (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है और उसके बाद भुगतान के लिए कोई दावा बैंक या फंड के संबंध में नहीं होगा। बैंक पहले ही वित्तीय वर्ष 2013-14 तक घोषित अप्रदत्त लाभांश, आईईपीएफ में अंतरित कर चुका है।

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

6. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

7. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA / IPO, etc.

8. UNCLAIMED / UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2013-14 to IEPF.

अप्रदत्त लाभांश वारंटों का विवरण बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर उपलब्ध कराया गया है। जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014-15 से अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है, उन्हें निम्नलिखित पते पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण (ट्रांसफर) एजेंट या बैंक के सचिवीय विभाग, बेंगलूरु से संपर्क करने की सलाह दी जाती है:

केफिन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (इकाई :- केनरा बैंक) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 व 32 गच्छीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com टोल फ्री नंबर - 1- 800-309-4001	सचिवालय विभाग केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड बेंगलूरु - 560002 ई-मेल: hosecretarial@canarabank.com फोन: 080-22100250
--	---

The details of Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.canarabank.com. The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2014-15 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Secretarial Department at Bengaluru on the following address :

KFin Technologies Pvt. Ltd. (Unit :- Canara Bank) Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 Email id: einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1- 800-309-4001	Secretarial Department Canara Bank Head Office 112 J C Road Bengaluru - 560002 E-mail - hosecretarial@canarabank.com Ph: 080-22100250
--	---

9. पते / लाभांश मैडेट में परिवर्तन:

- बैंक नोटिस/पत्र भेजने के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरण का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके पते को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपडेट किया जाना चाहिए ताकि तुरंत अपडेट किया जा सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण (ट्रांसफर) एजेंट पते में किसी भी बदलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ही दी जानी चाहिए।
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे वैध दस्तावेज़ी साक्ष्य और औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ पते में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण (ट्रांसफर) एजेंट, यानी केफिन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को दें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पते में परिवर्तन दर्ज करना चाहिए, न कि बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण (ट्रांसफर) एजेंट के साथ किसी भी पत्राचार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (भौतिक रूप में शेयर रखने वालों के लिए) और उनके संबंधित डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर (इलेक्ट्रॉनिक / डीमैट रूप में शेयर रखने वालों के लिए) का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।

9. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

- The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. KFin Technologies Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic / demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10. मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को मतदान के संबंध में एकमात्र धारक माना जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल पहले नामित व्यक्ति को ईजीएम में भाग लेने और एजेंडा पर रिमोट ई-वोटिंग या यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ईजीएम में वोटिंग के माध्यम से वोट करने का हकदार है।

11. असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में मतदान प्रक्रिया

रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपका बैंक शेयरधारकों को बैठक की सूचना में उल्लिखित मद पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रदान कर रहा है। इस संबंध में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

- बैंक ने केफिन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड को ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
- पोर्टल रिमोट ई-वोटिंग के लिए सोमवार, 06 दिसंबर 2021 को सुबह 9.00 बजे खुलेगा और गुरुवार 09 दिसंबर 2021 शाम 5.00 बजे (दोनों दिन सम्मिलित) तक खुला रहेगा।
- रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। अंतिम तारीख (कट-ऑफ तिथि) यानी यथा शक्रवार, 05 नवंबर 2021 को भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

केवल डीमैट में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लागू सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए रखे गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

व्यक्तिगत सदस्यों (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) द्वारा डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करना

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

10. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the EGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the EGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

11. VOTING PROCESS AT THE EGM

Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.
- The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Monday, 06th December 2021 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday 09th December 2021 (both days inclusive).
- Remote e-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut - off Date i.e., Friday, 05th November 2021, may cast their vote electronically.

Login method for e-voting :

Applicable only for Individual members holding securities in Demat

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. IDeAS सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए: - यूआरएल: https://eservices.nsdl.com 'IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत "बेनीफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। - नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "ई-वोटिंग एक्सेस" पर क्लिक करें। - कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर चले जाएंगे।	1. वैसे मौजूदा उपयोगकर्ता, जिन्होंने Easi / Easiest विकल्प को चुना है। - यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com - नई प्रणाली "Myeasi" पर क्लिक करें। - यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। - बगैर किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। - अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
2. IDeAS ई-सेवाओं हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए - पंजीकरण करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com "IDeAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" का चयन करें। - आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें। वैकल्पिक रूप से - पंजीकरण के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp - आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें।	2. Easi / Easiest हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए: - पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। - आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें।
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर - यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। - स्क्रीन पर दिखाई गई उपयोगकर्ता आईडी {(यूजर आईडी) (यानी एनएसडीएल का 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या)}, पासवर्ड/ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करें। - सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) साइट पर चले जाएंगे, जहां पर आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। - कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इस प्रकार आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर चले जाएंगे।	3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर - यूआरएल: www.cdslindia.com - डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रस्तुत करें। - प्रणाली, डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल संख्या और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को अधिप्रमाणित करेगा। - सफल अधिप्रमाणीकरण के पश्चात, जहां ई-वोटिंग चल रहा है, वहाँ के लिए, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे।

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: • URL: https://eservices.nsdl.com • Click on the “Beneficial Owner” icon under ‘IDeAS’ section. • On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on “Access to e-Voting” • Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest • URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com • Click on New System Myeasi • Login with user id and password. • Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. • Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services • To register click on link : https://eservices.nsdl.com • Select “Register Online for IDeAS” • Proceed with completing the required fields. Alternatively • To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Proceed with completing the required fields.	2. User not registered for Easi/Easiest • Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration • Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of NSDL • URL: https://www.evoting.nsdl.com/ • Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. • Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. • Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. • Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	3. By visiting the e-Voting website of CDSL • URL: www.cdslindia.com • Provide demat Account Number and PAN No. • System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. • After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.

व्यक्तिगत सदस्यों (डीमैट मोड में धारक प्रतिभूति) का अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करना

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम हो जाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सफल प्रमाणीकरण के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपोजिटरी साइट पर पहुंच जाएंगे। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता नाम पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य - एन एस डी एल	तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य - सी डी एस एल
लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर अथवा टोल मुक्त नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।	लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com अनुरोध भेज कर अथवा 022-23058738 अथवा 022-23058542-43 पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

• गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू

गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश निम्नलिखित है:

- प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा।
- इंटरनेट ब्राउज़र के एड्रेस बार पर यूआरएल: <https://evoting.kfintech.com> टाइप करें।
- ईमेल में दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें। आपकी फोलियो नंबर/डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपकी उपयोगकर्ता आईडी होगी। हालांकि, यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए केफिन के साथ पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
- उचित रूप से विवरण भरने के पश्चात, लॉगिन पर क्लिक करें।
- आप पासवर्ड बदलें विकल्प पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम 8 अक्षर होंगे जिसमें कम से कम एक अंग्रेजी का एक उच्च वर्ण (A-Z), अंग्रेजी का एक निम्न वर्ण (a-z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष वर्ण

Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

• Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form

Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below:

Procedure and Instructions for remote e-voting are as under:

- Initial password is provided in the body of the email.
- Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
- Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFin for e-voting, use your existing User ID and password for casting your votes.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना (एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

(@, #, \$, आदि) होगा। दृढ़ता से यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।

- f. नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करें।
- g. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, सिस्टम आपको इवेंट यानी केनरा बैंक का चयन करने के लिए कहेगा।
- h. वोटिंग पेज पर, कट-ऑफ तारीख को आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को प्रदर्शित करता है) दिखाई देगी। यदि आप प्रस्ताव पर सहमति/असहमति के सभी वोट डालना चाहते हैं, तो सभी शेयर दर्ज करें और 'समर्थन'/'विरोध' जैसा भी मामला हो, पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'समर्थन' में और आंशिक रूप से 'विरोध' में, लेकिन कुल संख्या में 'समर्थन' और/या 'विरोध' को मिलाकर कट-ऑफ तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'अस्वीकार' विकल्प भी चुन सकते हैं और धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी।
- i. एकाधिक फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- j. एक उचित विकल्प का चयन कर अपना वोट करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें अन्यथा आशोधन के लिए 'रद्द करें' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको बाद में अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान की अवधि के दौरान, आप कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि आपने यह पुष्टि नहीं कर दी है कि आपने संकल्प पर मतदान कर दिया है।
- k. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को विधिवत रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं), जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, नमूना हस्ताक्षर के साक्ष्यांकित करने के लिए scrutinizer@snaco.net पर भेजें और उसे उनके लॉगिन आईडी के ई-वोटिंग मोड्यूल में अपलोड करें।
- l. किसी भी प्रश्न/ शिकायत के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड विकल्प में उपलब्ध ई-वोटिंग उपयोगकर्ता नियमावली का संदर्भ ले सकते हैं या श्री एस वी राजू, उमप्र, केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (इकाई : केनरा बैंक), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचिबावली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकुरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 के ई-मेल raju.sv@kfintech.com पर अथवा टोल फ्री नं. 1-800-309-4001 पर संपर्क कर सकते हैं।

one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, \$, etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Canara Bank
- h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- i. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- j. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
- k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf/jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login.
- l. In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual available at the 'download' section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S.V. Raju, DGM of KFin Technologies Pvt. Ltd, (Unit : Canara Bank), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032 at e-mail raju.sv@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).

12. बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली:

केवल वे शेयरधारक जो ई-ईजीएम में मौजूद हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाएगी। शेयरधारक बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वीसी/एवीएम में लॉग-इन करने के बाद उपलब्ध लिंक <https://emeetings.kfintech.com/> पर क्लिक करके मतदान(वोट) कर सकते हैं।

13. मतदान / पोल के संवीक्षक:

चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी। मेसर्स एसएन अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त कंपनी सचिव स्वतंत्र सलाहकार भी रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए बैठक की कार्यसूची मद्दों के संबंध में संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

14. रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के परिणाम:

ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा बैठक के अंत में या निर्धारित समय सीमा के भीतर की जाएगी और इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. की वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

15. हरित पहल - विशेष ध्यान देने की आवश्यकता:

भारत सरकार द्वारा हरित पहल का समर्थन करने के लिए, जिन शेयरधारकों ने अपने संबंधित डिपॉजिटरी/आरटीए/बैंक के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संचार मेल पर प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी को या ईमेल/अनुरोध को इस नोटिस में बताए गए आरटीए/ बैंक के पते/ईमेल आईडी पर लिखित रूप में भेजें।

16. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

बैठक के कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और यह नोटिस का हिस्सा है।

बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) कहती है कि जहां जनता को जारी की गई पूंजी,

01. कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं; एक निदेशक
02. कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं; दो निदेशक
03. कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक; तीन निदेशक

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा आपस में से चुने जाने हैं।

17वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के आयोजन के दौरान

12. E –VOTING SYSTEM DURING THE MEETING:

Only those shareholders who are present at the e-EGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

13. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL:

The entire process of Election would be conducted by the Returning officer appointed by the Bank. M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank shall also act as Scrutinizer for both remote voting and e-voting in respect of the agenda item of the meeting.

14. RESULTS OF REMOTE VOTING AND POLL:

The consolidated results of remote e-voting and voting at the EGM will be announced at the end of the Meeting or within the prescribed time limits and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Pvt. Ltd.

15. GREEN INITIATIVE - SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated in this Notice in order to receive Annual Reports and other communications over mail.

16. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of the Notice

Election of One Shareholder Director of the Bank

Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 says, where the capital issued to public is

01. Not more than sixteen percent of the total paid-up capital, one director;
02. More than sixteen percent but not more than thirty-two percent of the total paid up capital, two directors;
03. More than thirty-two percent of the total paid up capital, three directors,

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.

The Public shareholding of the Bank during the

बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता 29.38% थी। तदनुसार, बैंक के शेयरधारकों ने 25.07.2019 को आयोजित 17 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए (27.07.2019 से 26.07.2022 तक) निम्न दो शेयरधारक निदेशकों को चुना गया।

01. श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर (दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए)
02. श्री बिमल प्रसाद शर्मा

19वीं वार्षिक सामान्य बैठक(एजीएम) के आयोजन के दौरान बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता 30.67% थी। 24/08/2021 को क्वालिफाइड संस्थागत खरीदार को ₹10/- के 16,73,92,032 शेयरों के आबंटन पर बैंक की पब्लिक शेयरधारिता 30.67% से बढ़कर 37.07 % हो गई, जिससे बोर्ड में शेयरधारक निदेशकों की संख्या बढ़कर दो से तीन हो गई।

सार्वजनिक शेयरधारिता में हाल ही में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए, आपका बैंक **शुक्रवार, 10 दिसंबर, 2021** को आयोजित हो रही एक असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है। निदेशक मंडल ने 26 अक्टूबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में इस उद्देश्य के लिए असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) के आयोजन को मंजूरी दी है।

अतः, शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम / योजना / विनियमों / अधिसूचना में दिए गए विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं, जिसके प्रासंगिक सार / अंश यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति या बोर्ड द्वारा योजना के खंड 14ए के अनुसार जांच के बाद, प्रस्तुत किए गए नामांकनों की फिट और उचित स्थिति निर्धारित की जाएगी। यदि केवल एक वैध नामांकन होता है, तो उसे ही निदेशक के रूप में चुन लिया जाएगा और एक से अधिक वैध नामांकन के मामले में, निदेशक को असाधारण आम बैठक में आयोजित चुनाव से चुना जाएगा।

एक निदेशक का चुनाव शेयरधारकों द्वारा बैंक में जमा नामांकनों की जांच और बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति / बोर्ड द्वारा योजना के खंड 14ए के अनुसार उनकी फिट और उचित स्थिति का निर्धारण करते हुए या बाद की असाधारण सामान्य बैठक में हुए चुनाव के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार निर्वाचित निदेशक, शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने की घोषणा के अगले दिन से पद ग्रहण करेगा और इस प्रकार पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि पूरी होने तक पदस्थ रहेगा।

conduct of 17th AGM was 29.38%. Accordingly, the shareholders of the Bank elected below two shareholder directors at the 17th AGM held on 25.07.2019 for a period of three years from the date of their assumption of office (from 27.07.2019 to 26.07.2022)

01. Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer (Re-elected for second term)
02. Shri Bimal Prasad Sharma

The Public shareholding of the Bank during the conduct of 19th AGM was 30.67%. On 24/08/2021, the Public shareholding of the Bank increased from 30.67% to 37.07% consequent to the allotment of 16,73,92,032 shares of ₹10/- each under Qualified Institutional Placement to qualified institutional buyers, which has resulted in shareholders other than the Central Government being entitled to elect and appoint one more Director.

With a view to fill in the vacancy that has arisen due to recent increase in public shareholding, your Bank proposes to conduct Election of one Shareholder Director at an Extraordinary General Meeting (EGM) to be convened on **Friday, 10th December, 2021**. Board of Directors, at their Meeting held on 26th October, 2021 have approved convening of the EGM for this purpose.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore, entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder.

Upon scrutiny by Nomination & Remuneration Committee of the Board or by Board in terms of Clause 14A of the Scheme, Fit & Proper Status of the nominations submitted shall be determined. In case there is only one valid nomination, then the same will be elected as the Director and in case of more than one valid nominations, Director will be elected at the election at the Extraordinary General Meeting.

One Director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination & Remuneration Committee of the Board/by Board in terms of Clause 14A of the Scheme or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall assume office from the next day of declaration of being elected as Shareholder Director and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

निदेशक के चुनाव के लिए अन्य प्रावधान :

अ. कानूनी प्रावधान:

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / योजनाओं / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के संकेत निम्न सारणी में दिए गए हैं :

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचना	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16(1) धारा 20	- पर्याप्त हित - सामान्य निदेशकों का निषेध - किसी निदेशक को या किसी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिमों की मंजूरी के लिए प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) व धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	- निर्वाचन अधिकारों पर प्रतिबंध - शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या - कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ट्रैक रिकॉर्ड तथा अखंडता के आधार पर योग्य व उचित नहीं हो व ऐसे अन्य किसी मानदंड के आधार पर, वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है। - उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3एए) के प्रावधानों को पूरे नहीं करनेवाले यथा निर्वाचित निदेशकों को हटाने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को होगा। - निष्ठा व गोपनीयता का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी खंड 12(8) खंड 14ए, विशेष प्रावधान	- निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल - बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना - निदेशक के पद को रिक्रिया किया जाना - निर्वाचित निदेशक को पदच्युत किया जाना - निर्वाचित निदेशक के पद में आकस्मिक रिक्तियों को भरना - अपने हितानुसार कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन - यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि समिति की बैठक के लिए कोरम, ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति होने या उसके सदस्य के इनकार करने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य या उस प्रकार कर सकता है।
केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65	- संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग - आम बैठकों में मतदान - आम बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक - शेयरधारकों की सूची - निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामंकन

OTHER PROVISIONS FOR ELECTION OF DIRECTOR:

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8) Clause 14A, Special provision	➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. ➤ if the Board is satisfied that quorum for meeting of Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65	➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election

	विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➤ नामांकनों की संवीक्षा ➤ निर्वाचन संबंधी विवाद ➤ मतदान अधिकारों का निर्धारण ➤ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➤ प्रॉक्सियाँ (प्रतिनिधि)
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना- डीबीआर. एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और अन्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) तथा धारा 9(3एबी) की अनुवर्ती	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए योग्य व उचित मानदंड
बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश जोकि कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015 को स्वीकृत किए गए थे, जोकि उत्तरवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, के साथ भारत सरकार के पत्र एफ. सं.16/51/2012-बीओ.आई, दिनांकित 28.04.2015 और दिनांकित 20 जुलाई 2016 के साथ पठित और कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 03.09.2013 के साथ पठित है।		बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, शेरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवारों की फिट और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना
सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए संबद्ध अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना/विनियम के प्रासंगिक सार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.एपीपीटी.सं.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देश, बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे जिसका अवलोकन / डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु के यहां कंपनी सचिव, केनरा बैंक को संबोधित अनुरोध पर नामांकन फॉर्म जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् 25 नवंबर 2021 को या उससे पूर्व प्राप्त होने पर ये सार उन्हें ई-मेल के द्वारा भेज दिए जाएंगे।

B. चुनाव में भागीदारी:

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा यथा निर्दिष्ट / अंतिम तारीख यानी शुक्रवार, 05 नवंबर 2021 को शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों की बही में शामिल हैं, वे केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयर धारकों में से निदेशक के

चुनाव में भाग लेने हेतु यानी नामांकन भरने, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

C. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने संबंधी अयोग्यताएं:

- (A) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 10 के अनुसार एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अयोग्य करार दिया जाएगा:
- यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान रोक दिया है या लेनदारों से मिलीभगत कर ली हो: या
 - यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है और किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है: या
 - यदि उसे दंड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक रूप से भ्रष्ट होना भी शामिल है: या
 - यदि वह बैंक के कर्मचारियों के बीच से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) एवं (एफ़) के तहत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पद छोड़कर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या

	Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI Notification No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and others	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.canarabank.com which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Canara Bank at their Head Office at Bengaluru on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 25th November 2021.

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified/Cut- Off Date i. e., on Friday, 05th November 2021 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट (अनुषंगी बैंक), अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के अंतर्गत कोई लाभ का पद धरण करता है।

- (B) यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं डीबीआर.एपीपीटी. संख्या : 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार दिशानिर्देश संख्या एफ.सं.16/51/2012-बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 दिनांक 3 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित के संदर्भ में 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

D. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए रहेगा और वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

बशर्ते कोई भी निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धरण नहीं करेगा।

E. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएं

1. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, कोई उम्मीदवार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की इच्छा रखता है, उसके पास:
- a) निम्नलिखित मामलों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :-
 - i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii. बैंकिंग
 - iii. सहकारिता
 - iv. अर्थशास्त्र
 - v. वित्त
 - vi. विधि
 - vii. लघु उद्योग
 - viii. अन्य किसी मामले में से विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के माध्यम से यह अधिसूचित किया गया है कि (i) सूचना प्रद्योगिकी (ii) भुगतान तथा निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) व्यावसायिक प्रबंधन, उन व्यक्तियों के लिए जिन पर बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है।

Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

- (B) If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

D. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall
 - a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - i. agriculture and rural economy
 - ii. banking
 - iii. co-operation
 - iv. economics
 - v. finance
 - vi. law
 - vii. small scale industry
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

(RBI vide its circular no.DBR. Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

- b) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो: या
c) किसानों, मजदूरों और कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो।
2. अधिनियम की धारा 9 (3एए) के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते कोई उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है उसकी स्थिति 'उपयुक्त और उचित' होनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा 3 (एए) के तहत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तरीके, ऐसे मामले, जिन्हें आवश्यक या आकस्मिक माना जा सकता है, निर्दिष्ट कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए और उनके द्वारा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित वार्षिक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

F. आरबीआई की 'उपयुक्त और उचित' मानदंड अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप धारा (3एए) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर डीआरबी. एपीपीटी.संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 को पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए "उपयुक्त और उचित" मानदंड पर मास्टर निदेश जारी किया है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के बोर्ड पर निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले निर्दिष्ट "उपयुक्त और उचित" मानदंड दिये गए हैं।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं

"उपयुक्त और उचित" स्थिति आदि का निर्धारण करने हेतु प्राधिकारी, तरीका/प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार हैं:

a) प्राधिकारी:

बैंक को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति [इसके बाद समिति के रूप में संदर्भित] का गठन करना आवश्यक है, जिसमें निदेशक मंडल [इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित] में से कम से कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और इसमें बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति से कम से कम एक सदस्य का शामिल होना आवश्यक है, ताकि एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी) / बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

b) तरीका और प्रक्रिया:

बैंक चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा एक घोषणा पत्र

- b) represents the interest of depositors; or
c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

F. RBI'S 'FIT AND PROPER' CRITERIA Notification

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Salient Features of the Notification

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

a) Authority:

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one Member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/ clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format. from the persons who file their nominations for

और वचन पत्र लेगा। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक नामांकन की स्वीकृति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद होगी तथा नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर समिति यह निर्धारित करेगी कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जाएगी या नहीं। हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर समिति उम्मीदवारी के स्वीकरण पर विचार करेगी और जहाँ आवश्यक लगे वहाँ वह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पुष्टि करता है, उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों को संदर्भित करेगी।

c) मानदंड:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति यहाँ नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंड के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त तथा उचित' स्थिति का निर्धारण करेगी :

- (i) आयु - उम्मीदवार की आयु चुनाव हेतु नामांकन जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता - उम्मीदवार को कम से कम स्नातक होना चाहिए।
 - (iii) अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र - आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर. एपीपीटी.बीसी.सं. 39/29 39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए) में दिए गए एक या अधिक मामलों के संबंध में उम्मीदवार को विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
 - (iv) अयोग्यता - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 10 के तहत यथा निर्धारित निर्देशकों की अयोग्यता के अतिरिक्त :
- (a) उम्मीदवार किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफ आई) या किसी बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- स्पष्टीकरण: इस उप - परिच्छेद तथा उप - परिच्छेद (सी) के उद्देश्य के लिए, "बैंक" शब्द में बैंकिंग कंपनी, नया प्रतिनिधि बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होगा।
- (b) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार

election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

c) Criteria:

The Nomination and Remuneration committee should determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Age - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
 - (ii) Educational qualification - The candidate should at least be a graduate.
 - (iii) Experience and field of expertise - The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.
 - (iv) Disqualifications: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:
- (a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
- Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.
- (b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of

नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा यदि वे किसी प्रबंधकीय नियंत्रण का लाभ नहीं उठाते हैं।

- (c) बैंक के बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता है यदि उसने किसी बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत लगातार या अनिर्ंतर रूप से 6 वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो।
- (d) उम्मीदवार को स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- (e) उम्मीदवार को संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए।
- (f) उम्मीदवार ऐसे सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न है।
- (g) उम्मीदवार ऐसे सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में उस बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न नहीं है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।
- (v) कार्यकाल – एक निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा : बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक लगातार या अनिर्ंतर 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

(vi) व्यावसायिक प्रतिबंध -

- (a) उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यापारिक हितों में टकराव हो सकते हों।
- (b) उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाली किसी गैर-संचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।

बशर्ते चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (b) के तहत अपेक्षाएं पूरी करनी वाला तभी माना जाएगा, जब उम्मीदवार समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि निदेशक के रूप में चुने जाने पर बैंक के साथ इस तरह के संबंध को अलग कर दिया जाएगा, और निर्वाचित होने पर बैंक के

such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

- (c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/ Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
- (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).
- (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.
- (v) **Tenure** – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

(vi) Professional Restrictions -

- (a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.
- (b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and

निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व ऐसे संबंध से खुद को अलग कर लेंगे।

(vii) ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा - उम्मीदवार किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के तहत नहीं होना चाहिए और किसी भी ऋण देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंक निर्वाचित निदेशक से प्राप्त करेंगे:

- निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले ऐसे व्यक्ति से, निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित प्रसविदा विलेख;
- प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार इस आशय की एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से प्रदान की गई जानकारी में कोई बदलाव नहीं आया है।
- जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले प्रदान की गई जानकारी में परिवर्तन है, बैंक ऐसे निदेशक से परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक नया अनुबंध प्राप्त करेगा।

बैंक यह भी करेंगे-

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त,

- निर्वाचित सीए निदेशक/उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएंगे तथा बैंक के ऋण / निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेंगे, जिसमें उनके/ फर्म के ग्राहक शामिल हैं। निर्वाचित सीए निदेशक को अनिवार्य रूप से पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग रखना होगा और इससे संबंधित एक प्रसविदा पर हस्ताक्षर करना होगा।
- निर्वाचित निदेशक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और डाइरेक्टरशिप का पूर्ण और उचित खुलासा करने की आवश्यकता है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरी बनाकर रखनी है तथा उन संस्थाओं जिनके वे हितधारक हैं, सहित ऋण / निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेंगे।
- किसी ऐसे व्यक्ति को कोई व्यावसायिक कार्य आबंटित न करें, जो ऐसे निदेशक का पद छोड़ने के पश्चात 2 वर्षों की अवधि के लिए उस बैंक का निर्वाचित निदेशक था।

जहां निर्वाचित निदेशक:

- असफल रहता है
 - प्रसविदा विलेख या घोषणा का प्रस्तुत करने में; या
 - उचित प्रकटीकरण करने में; या
 - ऋण/निवेश निर्णयों में भाग लेने से बचने में, जिसमें वे रुचि रखते हैं; या
- अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करते हैं, या
- ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जिसके कारण उन्हें उपर्युक्त उल्लिखित मानदंडों के अनुसार 'उपयुक्त और उचित नहीं' पाया जाता है। ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3ए) की

upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) Track record and integrity - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- A Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;
- A simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

The banks shall also -

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/ his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit / investment decisions involving entities in which he is interested.
- Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

- fails to
 - submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - make proper disclosures; or
 - refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- makes incomplete or incorrect disclosures, or
- involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of

अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है तथा इसके परिणामों के लिए वे उत्तरदायी होंगे।

समिति नए निदेशक (नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति) के रूप में चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन की जांच करते समय ऊपर बताए गए संशोधित मानदंडों को अपनाएगी। हालांकि, मौजूदा निर्वाचित निदेशकों को पूर्व-संशोधित मानदंडों के अनुसार अपनी वर्तमान शर्तों को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

G. भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016

भारत सरकार ने दिनांक 3 सितंबर 2013 के पत्र के माध्यम से जैसा कि दी गई सलाह के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति शेयरधारक निदेशक की उपयुक्त तथा उचित स्थिति का निर्धारण करते समय गैर- सरकारी निदेशक की नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देशों को ध्यान में रखेगी। भारत सरकार ने दिनांक 25 मार्च 2015 को जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देश, तथा दिनांक 08 जुलाई 2016 को किए गए संशोधन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 28 अप्रैल 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किया है, जिसका सार निम्नानुसार है:

a) सामान्य

संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाएगा।

अहर्ता व अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विश्वनीयता आदि के अनुसार नामिति की उपयुक्तता को मूल्यांकित किया जा सकता है। विश्वसनीयता व उपयुक्तता मूल्यांकित करने हेतु आपराधिक रिकॉर्ड पर जानकारी, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण वसूली हेतु किए गए सिविल कार्य, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश करने से मना या निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों, पिछले संदिग्ध कारोबार प्रथाओं आदि पर विचार किया जाएगा।

b) अनुभव

1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। एक वरिष्ठ पद पर उद्योग के 20 वर्षों के अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (एक प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में बदलाव लाया) को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. कुल 20 वर्षों के अनुभव के साथ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनका संयुक्त सचिव व ऊपर के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सेवानिवृत्ति सीएमडी/ईडी। पूर्व - सीएमडी/ईडी को सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पश्चात को उस पीएसबी के बोर्ड में गैर- आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार

Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new directors (appointment/re-appointment). However, existing elected directors may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria.

G. GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 20TH JULY 2016

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they

नहीं किया जाएगा, जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। पीएसबी के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी को किसी भी अन्य पीएसबी के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

3. 20 वर्षों से अधिक के अनुभव युक्त प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थान के शिक्षाविद निदेशक व प्रोफेसर।
4. 20 वर्षों के अनुभव युक्त सनदी लेखाकार (ऑडिट अनुभव के अलावा) को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. यद्यपि, मामले की मेरिट के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंडों में रियायत दी जा सकती है।
6. जहां तक संभव हो, महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबद्ध व्यक्ति को भी अभ्यावेदन दिया जा सकता है।

c) शिक्षा

गैर – आधिकारिक निदेशक कम से किसी भी क्षेत्र में, अधिमानतः रूप से कारोबार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ स्नातक होना चाहिए।

d) आयु

सर्च / नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की तिथि पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

e) कार्य अनुभव

पेशेवरों/शिक्षाविदों के पास आम तौर पर उनके विशेष क्षेत्र में 20 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।

f) अयोग्यता

- i. किसी भी श्रेणी के तहत किसी बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई)/आरबीआई/बीमा कंपनी में पहले से ही निदेशक को किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन नहीं किया जा सकता है।
- ii. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे (लीजिंग) और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों, सांसदों, एमएलए, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़े व्यक्तियों को बैंकों / एफएलएस / आरबीआई / बीमा कंपनियों के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे (लीजिंग) और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उनका ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।
- iii. किसी भी व्यक्ति को बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में दोबारा नामित नहीं किया जा सकता है, जिस पर उसने पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकाल या छह साल के लिए, जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में कार्य किया है।
- iv. एक सनदी लेखाकार यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- v. एक सनदी लेखाकार यदि उसकी फर्म वर्तमान में बैंक में एक सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

3. Academicians/Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- iii. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- iv. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
- v. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) कार्यकाल

किसी बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एक एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में छह साल के लिए, चाहे लगातार या सविराम एनओडी/शेयरधारक-निदेशक के रूप में रहा हो।

h) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 (डी) के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ की तुलना में व्यावसायिक प्रतिबंध के मुद्दे की अलग से जांच की जा सकती है।

i) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में देश के सभी छह क्षेत्रों – उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य (सेंट्रल) और उत्तर-पूर्व का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

H. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्य दिवसों (रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक छुट्टियों के अलावा) में दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की एक प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है, तो उसे पूर्व भुगतान पर ₹5/- प्रति 1000 शब्दों या प्रतिलिपि/मुद्रित किए जानेवाले उसके भिन्नात्मक भाग की दर पर आपूर्ति की जाएगी।

I. शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2000 के विनियम 64 में उल्लिखित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति बुधवार, 10 नवंबर 2021 से बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी जिसे बेंगलूर में संदेय केनरा बैंक के पक्ष में मांगड्राफ्ट द्वारा ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) अदा करके खरीदे जा सकें।

J. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

निदेशक के पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन तब वैध होगा, जब

- विनियमों के विनियम 65 के अनुसार, वह शुक्रवार, 05 नवंबर 2021 को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर धारण करने वाला एक शेयरधारक है, जो चुनाव में भाग लेने के लिए गणना की निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि है और बैठक की तारीख तक और उसके बाद अपने कार्यकाल के अंत तक, यदि वह निर्वाचित होता है, न्यूनतम 100 शेयरों को धारण करना जारी रखता है।

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturday and Bank holidays) between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer print outs of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of ₹ 5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/ printed.

I. LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Wednesday, the 10th November, 2021 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bengaluru.

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, 05th November 2021 being the Specified/Cut-Off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/ she is elected.

- b) अधिनियम के तहत निदेशकों का चुनाव करने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में वैध नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा नामांकन, जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिस पर इसे पारित किया गया था, मूल प्रति के रूप में प्रमाणित संकल्प की एक प्रति, कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बंगलुरु को संबोधित करते हुए प्रधान कार्यालय/ बैंक को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- c) शेयरधारकों द्वारा वैध नामांकन (न्यूनतम 100) नामांकन के नमूने के रूप में उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा के साथ किया जाना है और इस नोटिस में न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट या आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा होगी कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और वह निदेशक बनने के लिए अधिनियम या योजना या इन विनियमों/ भारिबै अधिसूचना या भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा निदेशक बनने से अयोग्य नहीं ठहराया गया। विधिवत हस्ताक्षरित और इस बात को पुष्ट करने वाले उसके व्यक्तिगत ब्यौरे (बायो-डाटा), उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और घोषणा के बाद सूचना से संबंधित कोई घटना घटी है तो उसके बारे में यथाशीघ्र बैंक को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता है।
- d) 25 नवंबर 2021 को, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होने के कारण, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) के तहत अयोग्य नहीं है। योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (बाद में "विनियम" के रूप में संदर्भित) और उसके बाद बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के गैर सरकारी निदेशकों के लिए सरकार द्वारा जारी दिनांक 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई 2016 के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीआर.एफ्ट.सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए बैंक "उपयुक्त और उचित" पाया गया है
- b) The valid nomination in writing signed by at least One Hundred Shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office / of the Bank addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank Head Office Bengaluru and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- d) As on 25th November 2021, being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives

या ऐसे अन्य निर्देश जो समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं।

- e) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म इस नोटिस के साथ संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार विनियम द्वारा निर्धारित हैं (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट: www.canarabank.com पर भी उपलब्ध है)

K. नामांकन फॉर्म का प्रस्तुतीकरण

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए, जिस पर "केनरा बैंक - निदेशकों का चुनाव - दिसंबर 2021" लिखा हो। डाक/कोरियर कंपनी द्वारा सचिव, सचिवीय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय 112, जेसी रोड, बेंगलुरु को संप्रेषित किया जाए ताकि ईजीएम के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले यानी 25 नवंबर 2021 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर पहुंच सकें:

- विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;
- चुनाव में भाग लेने के हकदार कम से कम सौ शेयरधारकों के वैध नामांकन फॉर्म;
- संबंधित दस्तावेजों, प्रशंसापत्रों के साथ नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनबद्धता, अर्थात बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, बैंक से संबंधित अनुभव आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियां।
- उक्त नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, ऐसा न करने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

L. निदेशकों के नामांकन और चुनाव की संवीक्षा

- नामांकनों की संवीक्षा शुक्रवार, 26 नवंबर 2021 यानी नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पहले कार्य दिवस से शुरू होगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसे रिकॉर्डिंग के बाद उक्त कारण से अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- वैध नामांकनों की जांच बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा आरबीआई के दिशा-निर्देशों और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार या योजना के खंड 14ए के अनुसार बोर्ड द्वारा भी की जाएगी। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश/अधिसूचना और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध समान प्रकृति के हैं, बैंक उम्मीदवार (उम्मीदवारों) की "उपयुक्त (फिट) और उचित" फिट और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से सख्ती से विचार कर सकता है।

as may be issued from time to time for being elected as a Director.

- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.canarabank.com)

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope superscribing thereon "Canara Bank - Election of Directors - December 2021" in person or through Regd. Post / Courier addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank Head Office 112, J C Road Bengaluru so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before 5.00 p.m., on 25th November 2021:

- Duly filled in Declaration Form;
- Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.,
- The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- The scrutiny of Nominations shall commence on Friday, the 26th November 2021 i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines or by Board in terms of Clause 14A of the Scheme. As the restrictions imposed by RBI Direction/ Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidate(s).

- c) खंड 14ए, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार, विशेष प्रावधान है कि यदि बोर्ड संतुष्ट है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक के लिए कोरम समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है या उसके सदस्य द्वारा मना करने पर, बोर्ड स्वयं उम्मीदवार (उम्मीदवारों) की फिट और उचित स्थिति का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर सकता है।
- d) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/बोर्ड द्वारा सलाह के अनुसार उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में अधिक जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।
- e) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन है, तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवार उपयुक्त (फिट) और उचित पाए जाने पर तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता तदनुसार प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, कोई चुनाव/मतदान नहीं होगा और केवल चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई असाधारण सामान्य बैठक रद्द मानी जाएगी। नवनिर्वाचित निदेशक उस तारीख के बाद से पद ग्रहण करेगा, जिस दिन उसे निर्वाचित माना जाता है।
- f) यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा और उम्मीदवार को अपने पक्ष में बहुमत प्राप्त होने पर अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान हुए कुल मतदान में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा की जाएगी और इसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

M. उम्मीदवारी की वापसी

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बैंक के बंद होने के समय से पहले किसी भी समय, अर्थात् शाम 5.00 बजे 04 दिसंबर 2021 को या उससे पहले कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जेसी रोड, बेंगलुरु को संबोधित एक हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या ई-मेल पर hosecretarial@canarabank.com पर स्कैन और हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा करने हेतु हकदार बन सकता है।

N. विवाद

यदि कोई विवाद है, तो उसका यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 67 के अनुसार निपटान किया जाएगा।

- c) In terms of Clause 14A, Special Provision of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 if the Board is satisfied that quorum for meeting of Nomination & Remuneration Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in the Committee or recusal by member thereof, the Board itself may consider to undertake the due diligence process to determine the Fit & Proper status of the Candidate(s).
- d) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC/Board seek further information, documents from the candidate(s) in support of his / her candidature.
- e) If there are only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and his / her name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election/voting and the Extraordinary General Meeting convened solely for the purpose of the election shall stand cancelled. The newly elected director will assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected.
- f) If there is more than one valid nomination, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and the candidate in receipt of the majority of the votes in his/her favour i.e., aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before 5.00 p.m. on 04th December 2021 by sending a signed letter addressed to Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112 J C Road, Bengaluru or sending scanned and signed letter over e-mail at hosecretarial@canarabank.com.

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended.

O. सारांश

लागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के प्रासंगिक अंशों के सारांश शेयरधारकों के लाभ के लिए बैंक की वेबसाइट: www.canarabank.com पर पोस्ट किए जाते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इसे डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के कंपनी सचिव को सचिवीय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जेसी रोड, बेंगलुरु को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं।

P. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशकों को उनकी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशक जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उन्हें कार्यवाई की उक्त मदों से संबद्ध या हित रखने वाला माना जा सकता है।

Q. निदेशकों का चुनाव – प्रासंगिक अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों, आदि के सारांश

शेयरधारक निदेशकों के चुनाव और केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या के प्रावधान बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में निहित हैं।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की प्रासंगिक धाराएं, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और भारतीय बैंक विनियम, 1999 के प्रासंगिक विनियम (शेयर और बैठकें), जैसा कि संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949

सारभूत हित – धारा 5 (एनई):

- कंपनी के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा शेयर में लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, प्रदत्त राशि जो पाँच लाख रुपये से अधिक हो या कंपनी के प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो;
- फर्म के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, जो कि कथित फर्म के सभी सहभागियों द्वारा लिये गये कुल पूंजी के 10% से अधिक है;

सामान्य निदेशकों पर प्रतिषेध: धारा 16(1):

भारत में निगमित कोई बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक को अपने निदेशक के रूप में नहीं लेगी।

O. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification / GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.canarabank.com for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112 J C Road, Bengaluru and obtain the same.

P. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

Q. ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

- in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakh of rupees or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध-धारा 20:

- 1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी -
 - a) अपने खुद के शेषों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी, या
 - b) निम्नलिखितों को या उनके पक्ष में ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिबद्धता में प्रविष्ट नहीं होगी:
 - (i) उनके किसी निदेशक
 - (ii) कोई फर्म जिसमें साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में उसका कोई निदेशक हितधारक हो या
 - (iii) बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं होने वाली कोई कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी, या किसी सरकारी कंपनी जिसकी अनुषंगी या धारक कंपनी जिसका बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें पर्याप्त हित रखता हो या
 - (iv) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।
- 2) जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम इस प्रकार का हो की जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया है, उस तारीख को उपधारा (1) का खंड (ख) प्रवर्तन में हो तो उसके मंजूर किए जाने के लिए कोई वादा नहीं किया हुआ होगा या बैंकिंग विधि (आशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ होने के बाद किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, लेकिन ऐसे आरंभ किये जाने के पहले किये गये वादा के परिणामस्वरूप ऋण या अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय राशियाँ ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम के मंजूर किये जाने के समय निर्धारित अवधि के अंदर या ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो कथित धारा 5 के आरंभ होने से एक वर्ष के समाप्त होने के पहले वसूल करने के कदम उठाये जाएंगे। बशर्ते कि किसी संदर्भ में इस मामले में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिये जाने पर ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन ऐसी तारीख तक बढ़ायेगा जो कथित धारा 5 के आरंभ होने से 3 वर्षों की अवधि के परे न हो।

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of :
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit.

बशर्ते कि यह उप-धारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या अन्य किसी कारण से कार्यालय को रिक्त कर दे।

- 3) उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण निरर्थक और निष्प्रभावी होगा।
- 4) किसी व्यक्ति द्वारा देय उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंकिंग कंपनी को पुनः भुगतान नहीं किया हो तब ऐसा व्यक्ति कथित अवधि के समाप्त होने की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो तो समझा जायेगा कि उसने उक्त तारीख को अपने पद/कार्यालय को रिक्त कर दिया है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में:

- “ऋण या अग्रिम” में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे संव्यवहार के स्वभाव, जिस अवधि के अंदर और ऐसी परिस्थितियों जहाँ संव्यवहार के कारण देय राशि के वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबंधित पहलुओं के मद्देनजर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के लिए ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं करेगा।
 - “निदेशक” में बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल होगा, जिसका गठन उसके प्रबंधन, या उसके प्रबंधन तंत्र को इस दिशा में परामर्श देने के लिए किया गया हो।
- 5) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या इस धारा के लिए कोई संव्यवहार ऋण या अग्रिम है उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित पूर्वोक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन किए गए संदर्भ के रूप में उपयुक्त माना जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970

मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध :

धारा 3 (2 ई)- केंद्र सरकार के शेयरधारक को छोड़कर नये बैंक का कोई भी शेयरधारक नये बैंक के सारे शेयरधारकों के

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section.
 - “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares

कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के परे उसके द्वारा धारित शेयरों के मामले में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन:

धारा 9(3) (i): जहां धारा 3 की उपधारा (2 बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गई पूंजी:

- कुल प्रदत्त पूंजी के 16% से अधिक न हो तो, एक निदेशक।
- कुल प्रदत्त पूंजी के 16% से अधिक और 32% तक हो तो, दो निदेशक।
- कुल प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक हो तो, तीन निदेशकों को केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा आपस में से चुना जाएगा।

बशर्ते है कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण किये जाने पर खंड (एच) के तहत नामित निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट तरीके के समान संख्या में सेवानिवृत्त होंगे।

बशर्ते कि यदि संबंधित नए बैंक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने पर या उससे पहले चुने गए निदेशकों की संख्या उप-खंड (I) या उप-खंड (II) या उप-खंड (III) में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित निदेशक, जो अधिक संख्या में हो, इस तरह से सेवानिवृत्त हो जाएंगी जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया हो और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3A): उक्त खंड (i) के तहत चुने जाने वाले निदेशकों को -

- निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात्:
 - कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डी.बी.आर.एपीपीटी. बीसी.नंबर.39 / 29.39.001 / 2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 को विशेषज्ञता के क्षेत्रों को शामिल किया है। (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) बैंकों में निदेशक की

held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

- not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- more than sixteen per cent, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall -

- have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely:
 - Agricultural and rural economy
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small scale industry
 - any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who

नियुक्ति के लिए विचार किए जा सकने वाले व्यक्तियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन)

- (B) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो; या
(C) किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

धारा 9(3ए): उप-धारा 3(ए) के प्रावधान की पूर्वाधारणा के बिना और अधिनियम या अन्य कानून में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता और ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर 'फिट और उचित स्थिति' रखने वाला व्यक्ति न हो, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित कर सकता है।

अधिनियम की धारा (3-एबी): भारतीय रिजर्व बैंक उपधारा (3ए) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में 'फिट और उचित' स्थिति निर्धारित करने के प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तौर तरीके, ऐसे निर्धारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके लिए आवश्यक या प्रासंगिक माने जाने वाले मामलों के बारे में भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9(3बी): जहां रिजर्व बैंक की राय है कि उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत चुने गए संबंधित नए बैंक का कोई भी निदेशक उप-धारा (3ए) और (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, ऐसे निदेशक को हटा सकता है और ऐसे हटाने पर, निदेशक मंडल उप-धारा (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सहयोजित करेगा और (3ए) को तब तक हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जब तक कि अगली वार्षिक सामान्य बैठक में संबंधित नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा एक निदेशक का विधिवत चुनाव नहीं किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को एक निदेशक के रूप में संबंधित नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत निर्वाचित माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता के रूप में दायित्व:

धारा 13(2): नये बैंक का प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों में प्रविष्ट होने के पहले तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करें।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक के पद की अवधि: खंड 9(4):

एक निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेगा और फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा।

could be considered for appointment of director in the banks)

- (B) Represent the interests of depositors; or
(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director: Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छह साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों के पदों की रिक्ति

खंड 11:

- कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट अनुसार अयोग्य घोषित होता है या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होता हो तो समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और उसका कार्यालय रिक्त हो जायेगा।
- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में संदर्भित प्रबंध निदेशक को शामिल करके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से त्यागपत्र देता हो और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र के स्वीकारे जाने पर समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; और केन्द्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से कोई अन्य निदेशक त्यागपत्र देता हो तो ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।
- उपर्युक्त उपखंडों के प्रावधान की पूर्वधारणा के बिना अधिनियम 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद जिसका वह निदेशक है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से अन्य को छोड़कर कामगार या कर्मचारी नहीं रह जाता हो तो संदर्भित निदेशक का पद रिक्त हो जाता है।
- निर्वाचित निदेशक से अन्य जहाँ निदेशक के पद में रिक्ति उद्भूत होती है तो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुरूप उसे भरा जायेगा।

निर्वाचित निदेशक के पद से हटा देना:

खंड 11ए :

केन्द्र सरकार से अन्य शेयरधारक ऐसे शेयरधारकों द्वारा भरी गई शेयर पूँजी के आधे से कम नहीं होने वाली शेयर पूँजी का धारण करने वाले शेयरधारकों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटाकर उस रिक्ति को भरने के लिए उसकी बजाय अन्य व्यक्तियों को चुन सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ति को भरना:

खंड 11बी :

- निर्वाचित निदेशक के पद के कार्यकाल समाप्त हो जाने के पहले कोई रिक्ति उद्भूत होती है तो उसे निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा।

Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

- If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
- Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director:

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director:

Clause 11B :

- Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

बशर्ते कि रिक्ति अवधि छः महीनों से कम होने की संभावना है तो उसे शेष निदेशकों द्वारा भरा जाये।

- जैसी भी स्थिति हो उपखंड (1) में निर्वाचित या शामिल किया गया व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती निदेशक की शेष अवधि तक पद संभालेगा।

निदेशकों द्वारा हितधारण का प्रकटीकरण:

खंड 12(8):

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसके पक्ष में प्रविष्ट किसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाला निदेशक संबंधित परिस्थितियों के बारे में उसकी जानकारी में आने के बाद जितना शीघ्र हो सके बोर्ड को अपने हित के स्वभाव के बारे में प्रकट करेगा और जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती तो ऐसी, संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और उपस्थित होना अपेक्षित कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा:

बशर्ते कि निम्न कारण द्वारा ऐसे निदेशक पर उप-धारा में समाहित कुछ भी इन पर लागू नहीं होगा:

- कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूँजी की दो प्रतिशतता से अनधिक धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) या भारत में संप्रति प्रवर्तन किसी विधि के तहत स्थापित किसी निगम या सहकारी संस्था इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रविष्ट हुआ हो या प्रस्ताव करता हो; या
- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक हो तो राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो तो ऐसे निदेशक पर उपखंड में निहित कोई तथ्य लागू नहीं होगा।

विशेष प्रावधान:

खंड 14ए:

जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य या कार्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए सुरक्षा धारकों की किसी भी समिति द्वारा किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सिफारिशों या निर्धारण, या शिकायतों का समाधान बैंक के बोर्ड की आवश्यकता है, और यदि बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य या कार्य कर सकता है।

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.

- A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Special provision:

Clause 14A:

Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or refusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000, यथा संशोधित:

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

विनियम 10:

कोई शेयर एक या अधिक व्यक्तियों के नाम से रहे हों तो रजिस्टर में पहले नाम दर्ज किये गये व्यक्ति को समझा जाएगा कि वह शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करना, सूचना प्रेषण और केनरा बैंक से संबद्ध अन्य किसी मामले में एकल शेयरधारक है।

**अध्याय IV
शेयरधारकों की बैठक**

61. सामान्य बैठक में मतदान

- किसी सामान्य बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये संकल्प पर, मतदान अपेक्षित नहीं हो तो हाथ दिखाने के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- अधिनियम के प्रावधान के अन्यथा, सामान्य बैठक को प्रस्तुत किये गये हर मामले पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- उप विनियम (i) के तहत मतदान अपेक्षित नहीं होता तो बैठक के अध्यक्ष के इस आशय की घोषणा की हाथ दिखाने के द्वारा संकल्प विशेष को एकमत से या बहुमत विशेष के साथ अपनाया गया है या अपनाया नहीं गया है और ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध प्राप्त मतों की संख्या और अनुपात के साक्ष्य के बिना कार्यवाही का कार्यवृत्त रहने वाली बहियों में इस आशय की प्रविष्टि उस तथ्य का निष्कर्षात्मक साक्ष्य होगा।
- हाथ दिखाकर किसी संकल्प पर किये गये मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या किये जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस आशय से की गई माँग पर मतदान प्राप्त करने के लिए आदिष्ट होगा।
- मतदान की माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान की माँग कभी भी वापस ली जा सकती है।
- बैठक के अध्यक्ष के स्थगन या चुनाव के सवाल पर मांगे गए मतदान को तुरंत लिया जाएगा।
- किसी अन्य प्रश्न पर मांगा गया मतदान बैठक के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार लिया जायेगा, जो माँग किये समय से 48 घंटों के बाद न हो।
- मतदान करने के लिए व्यक्ति विशेष की योग्यता और मतदान अपनाये जाने के संदर्भ में भी व्यक्ति विशेष कितने मत देने के लिए सक्षम होगा, इन पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2000, AS AMENDED:

Exercise of rights of joint holders:

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

**CHAPTER IV
MEETING OF SHAREHOLDERS**

61. Voting at General Meeting

- At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.
- Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

अध्याय V
निदेशकों का निर्वाचन

63. सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जाने वाले निदेशक:

- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत केंद्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर पर रहने वाले उनके द्वारा शेयरधारकों में से केनरा बैंक की सामान्य बैठक में निदेशक को चुना जायेगा।
- किसी सामान्य बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना है तो उसकी सूचना बैठक आयोजित करने की सूचना में शामिल की जायेगी। ऐसी प्रत्येक सूचना निर्वाचित किये जाने वाले निदेशकों की संख्या और जिन रक्तियों के लिए चुनाव किया जा रहा है, उनका ब्यौरा भी विनिर्दिष्ट करें।

64. शेयरधारकों की सूची:

- इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के तहत निदेशक को निर्वाचित करने के लिए उन शेयरधारकों की सूची बनाई जायेगी, जिनके द्वारा निदेशक को चुना जाना है।
- सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीखों के साथ उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और मूल्यवर्ग संख्याएं और निर्वाचन आयोजित की जाने वाली बैठक के लिए नियत तारीख पर वे कितने मतों के लिए पात्र होंगे, उसकी संख्याएं होंगी और सूची की प्रतियाँ बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा नियत मूल्य पर बैठक के लिए नियत तारीख के पहले कम से कम तीन हफ्तों के पहले प्रधान कार्यालय में आवेदित हो।

67. निर्वाचन संबंधी विवाद:

- निर्वाचित समझे या निर्वाचित घोषित किये जानेवाले व्यक्ति विशेष की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या निदेशक के निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र प्रत्याशी या शेयरधारक होने वाला कोई इच्छुक व्यक्ति, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा तिथि के सात दिनों के अंदर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से सूचित करेगा और उक्त सूचना में जिन बातों के आधार पर निर्वाचन की वैधता पर वह संदेह कर रहा है या निर्वाचन पर विवाद है।
- उप विनियम (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक ऐसी समिति के निर्णय के लिए ऐसे संदेह या विवाद को संदर्भित करेगा, जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और (ई) या (एफ) या (जी) या (एच) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे।

CHAPTER V
ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at General Meeting:

- A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.
- Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of Shareholders:

- For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

67. Election Disputes:

- If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (e) or (f) or (g) or (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

- iii) उप विनियम 2 में संदर्भित समिति उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पूछ-ताछ करेगी और यदि वह यह महसूस करे कि चुनाव विधिमान्य है, तो वह निर्वाचन के परिणाम घोषित करेगी या चुनाव को विधिमान्य नहीं महसूस करता है तो वह जाँच-पड़ताल के शुरू के 30 दिनों के अंदर उसे संगत लगने वाली परिस्थितियों में नये सिरे से निर्वाचन आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निर्देश दे सकती है।
- vi) इस विनियम के परिणामतः ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

अध्याय VI शेयरधारकों के मतदान अधिकार

68. मतदान अधिकारों का निर्धारण:

- i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्य बैठक की तिथि के पहले रजिस्टर बंद कर दिये जाने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एकमत होगा।
- ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी न हो, जो व्यक्तिशः या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा, जैसे उपर्युक्त उपविनियम (i) में बताया गया है।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के लिए, "कंपनी" का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय से है।

कृपया नोट करें कि शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में मतदान केवल रिमोट ई-मतदान व पोल के माध्यम से ही किया जाएगा।

- iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होकर मत देने के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक उनके बदले में उपस्थित होकर मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने के लिए पात्र होगा और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

- i) केंद्र सरकार या कंपनी होने वाला शेयरधारक जैसी भी स्थिति हो प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया) केंद्र सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी तरफ से उन्हीं अधिकारों उपयोग करने के लिए पात्र होगा, जैसे वह केनरा बैंक का व्यष्टी शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार

- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of Voting Rights:

- i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

Explanation – for this Chapter, "Company" means any body corporate.

PLEASE NOTE THAT THE VOTING IN RESPECT OF ELECTING SHAREHOLDER DIRECTOR SHALL ONLY BE DONE BY REMOTE e-VOTING AND POLL.

- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by Duly Authorised Representative:

- i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were

विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार या कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका निभा सकता है।

- ii) कोई भी व्यक्ति उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विधिवत नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की प्रति पर जिस बैठक में उसे पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि होने के आशय के प्रमाणन के बिना और उसे बैठक की नियत तारीख के चार दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में केनरा बैंक के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं होगा या मत देगा।

70. प्रॉक्सियाँ:

- i) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्ट्रार में प्रथम शेयरधारक के रूप में नाम लिखे गये शेयरधारक या उसके विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा या नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया हो तो कोई भी प्रॉक्सी पत्र विधिमान्य नहीं होगा;

बशर्ते कि कोई प्रॉक्सी पत्र किसी शेयरधारक, जो किसी कारणवश, अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, द्वारा पर्याप्त हस्ताक्षरित होगा, यदि उसका चिन्ह उस पर अंकित होकर किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, एर्यूरेंस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता हो।

- ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लगी हो और उसकी एक प्रति केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चार दिन पहले प्रस्तुत नहीं की गई हो, और जब तक कि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकरण पहले केनरा बैंक में प्रस्तुत और पंजीकृत न हो साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित या उस पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकरण की एक प्रति है, जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा एक सच्ची प्रति के रूप में प्रमाणित किया जाता है।
- iii) फॉर्म 'बी' में न होने पर कोई भी प्रॉक्सी पत्र वैध नहीं होगा।
- iv) केनरा बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी पत्र वापस नहीं होगा और अंतिम होगा।
- v) विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किया गया है तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं होगा।
- vi) इस विनियम के तहत प्रॉक्सी पत्र देने वाला वह पत्र जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिशः मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।

an individual shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.

- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies:

- i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing;

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.

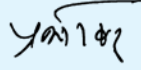
- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Canara Bank.
- iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv) An instrument of proxy deposited with Canara Bank shall be irrevocable and final.
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

vii) किसी भी व्यक्ति को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो केनरा बैंक का अधिकारी कर्मचारी हो।

vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

निदेशक मंडल के आदेशार्थ
कृते केनरा बैंक

By Order of the Board of Directors
For Canara Bank



एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

L V Prabhakar
Managing Director & CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.11.2021

Place : Bengaluru
Date : 08.11.2021

क्र. सं.

नामांकन पत्र

सेवा में,
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केनरा बैंक,
प्रधान कार्यालय : बेंगलूरु

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके प्रज्ञापन दिनांक 26.10.2021 एवं ईजीएम नोटिस दिनांक 08.11.2021 के संदर्भ में मैं, ... चुनाव में भाग लेने हेतु निर्दिष्ट तारीख /अंतिम तारीख यानी यथा **शुक्रवार, 05 नवंबर 2021** को केनरा बैंक के पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक रु.10/- के ईक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूँ, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले केनरा बैंक के निदेशक के रूप में **10 दिसंबर 2021**, शुक्रवार को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में चुने जाने के लिए श्री / श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नी निवासी को एतद्वारा नामित करता / करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ संख्या (अभौतिकीकृत न हो तो)	
डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या (अभौतिकीकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां:

- यदि नामांकन एक कॉर्पोरेट निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल दावरा उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए, जिस में यह पारित किया गया था।
- उम्मीदवारी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
- यदि उपर्युक्त में से किसी कॉलम को रिक्त छोड़ दिया जाता है या विवरण गलत पाए जाते हैं, तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

Sr. No.

NOMINATION FORM

To
The Managing Director & CEO,
CANARA BANK
Head office: Bengaluru.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Intimation dated 26.10.2021 & EGM Notice dated 08.11.2021, I, ...
a Shareholder of Canara Bank holding equity shares of ₹10/- each fully paid up as on **Friday, 05th November 2021** i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate
Shri / Smt. son / daughter / wife of residing
at for being elected as a
Director of Canara Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Share-
holders of the Bank to be held on **Friday, 10th December 2021**.

Name	
Signature	
Number of shares Held	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
2. Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणाएं

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती
निवासी

एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि :

- मैं **शुक्रवार 05 नवंबर 2021** को, यानी चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट/अंतिम तिथि को, बैंक के रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर धारण करने वाला एक शेयरधारक हूँ, और बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर कार्यकाल के अंत तक शेयरों को रखने का वचन देता/देती हूँ;
- *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहयोग, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग या कोई अन्य मामला जहां आईटी / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन / व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, मैं विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ प्रासंगिक परिसाक्ष्य प्रस्तुत करता/करती हूँ, तथा

(*जो लागू न हो उसे काट दें।)

- मैं नामांकन संख्या..... स्वीकार करता/करती हूँ; तथा
- मैं केनरा बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ; तथा
- मैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथासंशोधित केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, (1) यथासंशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के प्रावधानों के तहत बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ, तथा
- मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ; तथा
- मैं न तो लाभ का कोई पद धारण करता/करती हूँ और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी हूँ या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ।

मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि:

- मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या कोई भुगतान निलंबित नहीं है या ऋणदाता को बकाया नहीं है; तथा
- मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है व ऐसा ही सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित है एवं नैतिक अधमता वाले किसी भी अपराध में फ़ौजदारी अदालत द्वारा मैं दोषी नहीं हूँ; तथा
- मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्धोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा
- मैं निर्वाचित हो जाने पर, बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध यदि कोई हो, को समाप्त कर दूंगा/दूंगी, और निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद दो वर्षों के लिए बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा/रखूंगी; तथा
- मैं किसी बैंक या रिजर्व बैंक या किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाले एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ।
- मैं किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा/जुड़ी नहीं हूँ;
- मैं विगत समय में किसी भी बैंक/एफआई/भा.रि.बै./बीमा कंपनी में छः वर्षों हेतु किसी भी वर्ग के तहत, चाहे निरंतर हो या मध्यस्थ, के बोर्ड का निदेशक नहीं रहा/रही हूँ।
- मैं शेयर दलाली (स्टॉक ब्रोकिंग) के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूँ।
- मैं सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का मतलब निकाय जैसे अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) का पद धारण नहीं करता/करती हूँ।

DECLARATIONS

I, ... son/daughter/wife of Shri/Smt.....
resident of.....

hereby confirm that :

- a. I am a Shareholder holding equity shares of ₹10/- each of the Bank as on Friday **05th November 2021**, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT / Payment & Settlement Systems / Human Resources / Risk Management / Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
(*Delete whichever is not applicable.)
- c. I accept the nominations numbering; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of CANARA BANK; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that :

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
- m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
- n. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- o. I am not engaging in the business of stock broking.
- p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना (एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

- मैं किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा/रही हूँ जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- मैं एक सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा/रही हूँ जो वर्तमान में केनरा बैंक, जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है, के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- मेरा केनरा बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ, जिसके परिणामस्वरूप केनरा बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- मेरा किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाले किसी एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले चुने जाने पर बैंक के साथ संबंध समाप्त करने का वचन देता/देती हूँ।
- मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ और मैं किसी भी ऋण देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ।
- मैं एक निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने से पहले प्रसंविदा विलेख (आरबीआई परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) को निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ;
- मैं इस घोषणा के बाद होने वाली घटनाओं को, यदि कोई हो, यथाशीघ्र पूरी तरह से बैंक को सूचित करूंगा/करुंगी, जो कि ऊपर दी गई सूचनाओं से सुसंगत है और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने के लिए प्रासंगिक है; तथा
- मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद धारण करने तक सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, जैसा कि संशोधित किया गया है, के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ; तथा
- मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूँ जो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं, तथा
- मैं अपने वर्तमान के साथ-साथ अन्य कंपनियों / बैंकों में पिछले निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार देता/देती हूँ:

कंपनी / बैंक का नाम	निदेशक के पद का विवरण जैसे कार्यकाल, निदेशक के पद का स्वरूप, अवधि आदि

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ / पत्रक जोड़ें)

- मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूँ जो सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं; तथा

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि अभौतिकीकृत न हो तो)	
डीपी आईडी सं. और क्लाइंट आईडी सं. (यदि अभौतिकीकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

नोट: उम्मीदवार इस घोषणा में निहित कथन / कथनों को हटा / संशोधित कर सकते हैं।

उपरोक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए।

जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्टार या सब-रजिस्टार ऑफ एश्योरेंस, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या केनरा बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर।

- q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Canara Bank in which nomination for election is filed.
- s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Canara Bank nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Canara Bank.
- t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and
- z. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

- aa. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
Email ID	
No. of shares	
Regd. Folio No.	
(if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No.	
(if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Canara Bank or any Nationalized Bank.

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना (एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

बैंक का नाम : केनरा बैंक
एक प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा और वचन
(उपयुक्त संलग्नकों के साथ)

नवीनतम
फोटोग्राफ
यहां लगाएं

क्र.सं.	विवरण	प्रकट की गई जानकारी		
I. व्यक्तिगत विवरण:				
1.	पूरा नाम	मूल नाम	मध्य नाम	उपनाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल पता और अन्य ई-मेल पता: एसटीडी कोड के साथ दूरभाष संख्या: मोबाईल संख्या			
6.	राष्ट्रियता			
7.	जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) और आयु	---/---/----- आयु: -- वर्ष -- महीने		
8.	शैक्षणिक योग्यताएं			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			
11.	(a) स्थायी खाता संख्या (पैन): (b) प्रभार, जहां प्रस्तावित निदेशकों का कर (आयकर क्षेत्राधिकार)/आयकर मंडल/वार्ड का नाम और पता, निर्धारित किया जाता है: (c) पिछले 3 वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने और करों के भुगतान का विवरण	दायर करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि(आईएनआर)	
12.	स्थायी पता			
13.	लेखाशास्त्र, कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन जैसे एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त विवरण के रूप में ब्योरा या कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।			

Name of Bank: Canara Bank
Declaration and Undertaking by a Proposed Director
(with appropriate enclosures)

Please affix
latest
Photograph
here

Sr No	Particulars	Information Disclosed		
I. Personal Details:				
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's name			
3.	Gender (M/F/others)			
4.	Present address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	---/---/----- Age:--- years -- months		
8.	Educational qualifications			
9.	Director Identification Number (DIN)			
10.	Aadhaar Number (Optional)			
11.	(a) Permanent Account Number (PAN)			
	(b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle/Ward	Date of filing	Amount of Tax Paid (INR)	
	(c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years			
12.	Permanent address			
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.			

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना (एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

14..	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त विवरण)				
15.	पिछले न्यूनतम दस वर्षों को प्रावरित (कवर) करता पिछला व्यवसाय सहित काम किए गए संगठन का पूरा पता, कार्यग्रहण की तारीख, कार्यमुक्त होने की तारीख(कारणों सहित), पदनाम, आदि।				
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित को इंगित करें: (a) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या: (b) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकरण की तिथि: (c) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम और पता: (d) फर्म/फर्मों या आपके द्वारा वर्तमान में की गई लेखापरीक्षा/ओं का विवरण:				
17.	शाखा और खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) के साथ बैंकर(ओं) का नाम जहां आप प्राथमिक खाताधारक है:	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
18.	आपकी शेयरधारिता के संबंध में विवरण, यदि आपके पास, आपके पति या पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे द्वारा किसी भी इकाई में, भौतिक या डीमैट रूप में रखा गया है।(डीमैट/शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)				
19.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य संगत जानकारी				
II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध:					
20.	रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो किसी भी बैंक से जुड़े हुए हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें]:				
21.	ऐसी संस्थाओं की सूची जिसमें: (a) इच्छुक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]: (b) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम भी देखें]: (c) ट्रस्टी (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):				

14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)				
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings /current / loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat /shareholding certificate)				
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:				
II. Relevant Relationships of proposed director:					
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:				
21.	List of entities in which: (a) Interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):				

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना (एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)* के अर्थ के तहत पर्याप्त हित रखते हैं।	कंपनी/फर्म का नाम	
		निगमन का देश	
		शेयरों की संख्या	
		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	
		धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य	
		कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता	
		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)	
		क्या इकाई, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी है	
23.	विदेशों में निगमित और भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं में धारिताओं का विवरण।		
24.	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में आप बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि रहे हैं (उस अवधि का ब्यौरा देना जिसके दौरान ऐसा कार्यालय रहा हो/ रहा था)		
25.	यदि किसी ऐसी संस्था से जुड़े हों, जो किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां चलाती हों (संगठन के स्वरूप का उल्लेख किया जाना चाहिए), उसका विवरण।		
26.	यदि किसी स्टॉक ब्रोकर या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हों जो शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में लिप्त हों, उनका विवरण दें।		
27.	निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, जिनका आपने व्यक्तिगत रूप से तथा/ या उपरोक्त मद सं.(21) से (26) तक वर्तमान में सुविधा का लाभ उठाया है।		
28.	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां एक व्यक्ति के रूप में, आप, या ऊपर बिंदु (21) से (26) तक में सूचीबद्ध इकाइयां, बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य उधार देनेवाली संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में इरादतन चूककर्ता के रूप में चूककर्ता रह चुके हों या घोषित किए गए हों।		
III. पेशेवर उपलब्धियों के रिकॉर्ड :			
29.	निदेशक पद के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां।		
*कंपनी के संबंध में पर्याप्त हित का अर्थ है (i) किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अवयस्क बच्चे द्वारा, उसके शेयर में, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभदायक हित रखना है, जिसपर भुगतान की गई राशि, कंपनी की चुकता पूंजी से पांच लाख रुपये या दस प्रतिशत से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो; ii) एक फर्म के संबंध में, का तत्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अवयस्क बच्चे द्वारा चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभकारी हित रखना, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।			

22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.	Name of the company / firm	
		Country of incorporation	
		Number of shares	
		Face Value of each share	
		Total face value of share holding	
		Shareholding as % of total Paid up Capital	
		Beneficial interest (in value as well as % terms)	
		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.		
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board / Advisor etc. (giving details of period during which such office is being / was held).		
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.		
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.		
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.		
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities Obtained from a bank / NBFC / any other lending institution.		
III. Records of professional achievements:			
29.	Professional achievements relevant for the directorship.		
*substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.			

IV. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाहियां, यदि कोई हों:		
30.	(a) यदि वह किसी व्यवसायिक संगठन / निकाय का सदस्य हो तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई विलंबित या शुरू की गई या पूर्व में किसी भी समय दोषी ठहराया गया या प्रत्याशी को किसी व्यवसाय/पेशे में प्रविष्ट होने से रोका गया है।	
	(b) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के बारे में किसी भी लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।	
31.	अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू किया गया या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में स्वयं को / और या आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त बिंदु (21) से (26) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के खिलाफ दोषी ठहराया गया हो।	
32.	आपराधिक अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप दोषी ठहराया गए।	
33.	यदि एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त हैं, तो उसके विवरण।	
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करती है, तो उसका विवरण।	
35.	यदि दिवालिया घोषित किया गया है या भगतान निलंबित किया गया है या लेनदारों के साथ समझौता किया गया है, तो उसका विवरण।	
36.	यदि कोई विकृत मस्तिष्क का पाया जाता है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण।	
37.	(a) यदि अपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा शामिल है, उसका विवरण।	
	(b) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण?	
38.	एक पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करने के अलावा यदि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के तहत कोई भी लाभ का पद रखते हैं, तो उसका विवरण।	
39.	यदि किसी व्यक्ति या ऊपर बिंदु (21) से (26) में किसी भी संस्था के रूप में, पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी से किसी भी जांच/सतर्कता / मामलों की जांच के अधीन है, तो उसका विवरण।	
40.	यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी विनियम / अन्य राजस्व प्राधिकरण की अपेक्षानुसार नियमों / विनियमों/संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण।	

IV. Proceedings, if any, against the proposed director:		
30.	(a) As a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any Profession / occupation at any time, details thereof.	
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation / vigilance / matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by Customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, details thereof.	

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना (एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

41.	यदि किसी भी नियामक जैसे - सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या न्यायालय द्वारा किसी व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण निंदा की गई, फटकर लगाई गई, प्रतिबंधित, निलंबित, बाधित, रोक लगाई गई हो, या अन्यथा मंजूरी दी गई हो, तो उसका विवरण। (यद्यपि, उम्मीदवार के लिए ऐसे आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में पूरी तरह से बदल किए गए हों / पूर्णतया रह कर दिए गए हों, परन्तु इन्हें ऐसी स्थिति में वर्णित करना आवश्यक होगा जहां तकनीकी कारणों जैसे - अधिकार क्षेत्र की कमी या सीमित होने के कारण बदल/रह किया गया हो न कि योग्यता के आधार पर। यदि कोई आदेश अस्थायी रूप से रोक रखा गया है तथा अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।	
V. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाहियां, यदो कोई हों:		
42.	यदि सनदी लेखाकार, अधिवक्ता, आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में वर्तमान में कोई व्यावसायिक कार्य कर रहे / करते हैं तो बैंक के नाम और बैंक के साथ संबंध की अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
43.	यदि कोई सांसद/एमएलए / एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारक है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI. प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि कोई अन्य सूचना, जो “उपयुक्त और समुचित” का मूल्यांकन करने के लिए सुसंगत हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।		
वचन		
मैं पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण है। मैं बैंक को उन घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी यथाशीघ्र प्रदान करने का वचन देता हूँ/देती हूँ जो मेरी नियुक्ति के बाद घटित होती है जो उपरोक्त प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।		
बैंक के साथ निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित ‘प्रसंविदा विलेख’ के निष्पादन का भी वचन देता/देती हूँ।		
	स्थान : दिनांक :	प्रस्तावित निदेशक के हस्ताक्षर (उम्मीदवार)
	नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ निदेशक मंडल की स्वयं टिप्पणियां कि उपरोक्त जानकारी सही और पूर्ण है।	
	स्थान : दिनांक :	एनआरसी / बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, government agency, or court because of professional conductor activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V. General Information:		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.		
Undertaking		
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.		
I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.		
	Place : Date :	Signature of proposed Director (Candidate)
	Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
	Place : Date :	Signature of the Chair of the NRC / Board

केनरा बैंक

भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank

A Government of India Undertaking



 सिंडिकेट Syndicate

Together We Can